

कार्यालय नगर परिषद उदयपुर (राज)

बैठक संख्या:- 4

दिनांक:- 3.12.2010

वार :- शुक्रवार

समय:- प्रातः 11.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 3.12.2010 प्रातः 11.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य	7. श्री समर्थ सिंह बाबेल	सहायक अभियंता
2. श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य	8. श्री जगदीश चन्द्र बोहरा	सहायक अभियंता
3. श्री मुहम्मद खलील	सदस्य	9. श्री करीमुद्दीन	सर्वेयर
4. श्रीमति अर्चना शर्मा	सदस्य	10. श्री सिराजुद्दीन	सर्वेयर
5. श्री मुस्लिम अली बंदुक वाला	सदस्य	11. श्री फिरोज खान	कनिष्ठ लिपिक
6. श्री बी.एम. असावा	आयुक्त एवं सदस्य सचिव	12. श्री जगदीश चन्द्र सोलंकी	कनिष्ठ लिपिक

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया और दिनांक 8.6.10 की बैठक संख्या 2 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि सभी सदस्यों द्वारा सर्व समिति से की जाने के पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
1.	भ.अ/251/08-09 श्री सत्यनारायण सुथार पिता प्रभुलाल जी प्लाट नं.788,789 हि. म. से 3 उदयपुर	प्रार्थी प्रस्तावित नक्शें अनुसार भूतल + दो मंजिल मय सेट बेक छोडते हुए निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। मौके पर भूखंड संख्या 788 व 789 को संयुक्त रूप से मिलाकर उक्त प्लोटो पर बिना भवन निर्माण स्वीकृति के भवन निर्माण कर लिया है। जिसमें सामने के सेट बेक को भी भवन में शामिल मिला लिया गया है। तथा सडक पर 3'6" निकासु भी बना लिया है। तथा सडक पर चबूतरी को बना नाली को भी कवर कर लिया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रकरण नगर विकास प्रन्यास योजना का है आस पास भूखंड रिक्त है प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति किया गया निर्माण नियमन किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जावे तथा इसकी सुचना प्रार्थी को भी दी जावे।
2.	.भ. अ/68/09-10 श्री अंबा लाल सुथार पिता वरदी चन्द जी सुथार 806, हिरण मगरी से नं 5, मोक्ष मार्ग, उदयपुर	प्रार्थी भूतल + प्रथम तल आवासीय भवन निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। स्वीकृति पुर्व ही मौके पर भूतल स्ट्रक्चर बना लिया गया है। जिसमें सामने के सेट बेक को प्रार्थी द्वारा स्वयं गिरा दिया गया है। फन्ड सेट बेक पूर्ण रूप से छोड दिया गया है। किये गये निर्माण का प्रार्थी नियमन कराना चाहते है। जिसका प्रार्थना पत्र दिनांक 31.3.10 को प्रस्तुत किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि मौके पर उक्त विवरण अनुसार भूतल स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। जिसकी लागत का 5 प्रतिशत से शास्ती राशि वसूल की जाकर किये गये निर्माण का नियमन किया जाता है। प्रार्थी से भवन का उपयोग व्यवसायिक नहीं करने एवं न्यायालय में कोई वाद न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
3.	भ.अ/98/09-10 श्री प्रताप सिंह चौधरी पिता सज्जन सिंह चौधरी 150, टैगोर नगर, सेन 4 हि म .	प्रार्थी बने भूतल पर प्रथम तल एवं द्वितीय तल भाग का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। जबकि भूतल में पूर्व में दी गई स्वीकृति के विरुद्ध सामने 10'-0" सेट बेक के बजाय 8'-0" ही छोड़ा है तथा सिद्धियों का निर्माण सौ प्रतिशत किया गया है। साईड सेट बेक में एवं पीछे के सेट बेक में निर्धारित सेट बेक में पचास प्रतिशत से अधिक निर्माण होना पाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सामने के सेट बेक को पूर्णतः कवर करते हुए सिद्धियों का निर्माण कर लिया गया है। जो नियमन योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी को सूचित किया जाकर उक्त किये गये सिद्धी निर्माण को हटाकर फोटो प्रस्तुत करने एवं यहां आस पास की सर्वे रिपोर्ट सहित प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे। प्रार्थी को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देते हुए आगामी बैठक में उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जावे।
4.	भ.अ/81/09-10 श्री संदीप डागरिया पति सुमती लाल डागरिया 1084, हिरण मगरी, से 4 उदयपुर	प्रार्थी भूतल प्रथम तल एवं द्वितीय तल भाग का निर्माण कराने हेतु प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत किया गया यहां के निर्धारित सेट बेक सामने 10'-0" साईड में 10'-0" एवं पीछे 5'-0" का प्रावधान है। मौके पर प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही भूतल + प्रथम तल + द्वितीय तल भाग का निर्माण कर लिया है। जिसमें सामने के सेट बेक में 10'-0" के बजाय 6'-8" ही छोड़ रखा है। साईड सेट बेक में 10'-0" के बजाय कुछ क्षेत्र में 3'-0" ही छोड़ रखा है। तथा पीछे 5'-0" के बजाय कुछ क्षेत्र में 4'-6" रखा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया। सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि यहां आस पास के क्षेत्र के सेट बेक की स्थिति का सर्वे करवाकर एवं प्रार्थी के पडोस की भी सर्वे करवा प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे तथा प्रार्थी को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देते हुए आगामी बैठक में उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
5.	भ.अ/126/08-09 रिद्धी सिद्धि बिल्डर्स पार्टनर, फूलचंद पोखराना पंचशील मार्केट से. 5 हि. मगरी उदयपुर	नगर विकास प्रन्यास द्वारा 18.1.2008 को बिना सेट बेक छोडे तलघर भूतल प्रथम एवं द्वितिय तल व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। मौके पर तलघर भूतल+चार मंजिल भवन बना हुआ है। जिसमें निकासु रचना बना भवन में शामिल की गई है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली नगर विकास प्रन्यास से मंगवाई जावे। मूल न मिलने की अवस्था में प्रमाणित फोटो कॉपी पत्रावली मांगी जावे और न्यायालय के आदेश की प्रति भी मंगवाई जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
6.	भ.अ/70/09-10 श्री कालू लाल पिता रतन लाल जी छाजेड 459, हिरण मगरी से 11, उदयपुर	प्रार्थी बने भूतल पर सेट बेक छोडते हुए प्रथम द्वितिय एवं तृतीय तल का निर्माण कराने बाबत प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा मौका देखा जाकर दिनांक 16.7.2010 को निर्णय लिया कि उतर एवं दक्षिणी दिशा की ओर सेट बेक में निर्माण किया गया। इस प्रकरण को इस बैठक में रखने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। मौके पर सामने व पीछे जो कि 10'-0" 10'-0" सेट बेक छोडने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा दोनो ओर संपूर्ण सेट बेक को कवर कर लिया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया। स्थल पर कॉलम 3 विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रार्थी द्वारा भूखंड के सभी संपूर्ण सेट बेक को कवर कर लिया गया है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी को सूचित किया जावे।

क्रम संख्य	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
7.	भ.अ/197/09-10 श्रीमति मोहिनी देवी पति भगवती लाल जी जैन प्लाट संख्या 720 का भाग हिरण मगरी से नं 11 उदयपुर	मौके पर तलघर भूतल प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण कर लिया गया है। सामने के सेट बेक में जो कि 10'-0" छोड़ने का प्रावधान है। उसके बजाय एक ओर 4'-0" व दूसरी ओर 10'-0" सेट बेक छोड़ रखा है। साईड सेट बेक 10'-0" के बजाय 0'-0" सेट बेक छोड़ा गया है। भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा दिनांक 17.8.2010 के तहत तलघर को भरकर फोटो प्रस्तुत करने तथा बिना निर्माण स्वीकृति का प्रकरण होने से अपराधो का शमन एवं समझौता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मौके पर तलघर को बंद कर फोटो प्रस्तुत किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर निर्माण कॉलम संख्या 3 के विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी से मौके की वर्तमान स्थिति का नक्शा मांगा जावे। सहायक नगर नियोजक द्वारा रिपोर्ट ली जावे। आस पास की स्थिति की सर्वे रिपोर्ट एवं प्रार्थी से उक्त भवन का वाणिज्यिक उपयोग न लेने का शपथ पत्र सहित प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे। प्रार्थी को आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतू सूचित किया जावे।
8.	भ.अ/202/06-07 श्री फतेहलाल नागदा पिता स्व. भंवर लाल नागदा 1 क 1 हिरण मगरी से 11 इण्डियन ऑयल डिपो के सामने उदयपुर	भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा दिनांक 15.2.2007 को तलघर में निर्माण एवं भूतल में सेट बेक को शामिल करते हुए निर्माण को शामिल किये जाने पर नियमन शुल्क वसूल करते हुए नियमन किये जाने की अनुशंसा की गई। तदुपरांत जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.10 को दिये गये निर्णय " नगर परिषद द्वारा निर्माण को नियमित करते हुए स्वीकृति जारी कर दी गई है। जो उचित प्रतीत नहीं होती है। निश्चय ही सभी बिंदुओं पर गौर करते हुए प्रकरण में पुनः विचार समिति द्वारा किया जाना चाहिये। अतः नगर परिषद द्वारा जारी भवन अनुमति क्रमांक भ. अ/202/06-07 दिनांक 28.5.07 को निरस्त करते हुए बायलाज अनुसार सेट बेक रखवाते हुए निर्माण अनुमति नये सिरे से नगर परिषद उदयपुर को रिमाण्ड किया जाना ही उचित समझता हूँ।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जिला कलक्टर न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.3.10 की पालना की जावे। अतिक्रमण शाखा को पालना करने हेतू पाबंद किया जावे।

क्रम संख्या	फाइल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
9.	भ.अ/ 63/08-09 श्री महेन्द्र टाया पिता श्री कन्हैया लाल एवं श्री प्रशांत जैन पिता बसंती लाल जैन 71-72 रतनजी काम्पलेक्स से 13 उदयपुर	मौके पर स्टील फ्लोर जिसमें आधे भाग में प्लेट व आधे भाग पार्किंग हेतु दर्शाया गया है। तथा भूतल + दो मंजिल प्लेट्स का निर्माण किया गया है। जिसमें सेट बेक में निकासु रचना को भी भवन में शामिल किया गया है। पूर्व में यहां भ. अ/162/07-08 के तहत भूतल + प्रथम तल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति जिसमें सामने से 25'-0" सेट बेक तथा बकाया तीनों ओर से 10'-0" 10'-0" सेट बेक छोड़ते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी गई थी। जबकि प्रार्थी द्वारा सामने से 15'-0" ही छोड़ रखा है। तथा स्टील फ्लोर भूतल+ दो मंजिल प्लेट्स भवन बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण का नियमन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रकरण में एफ एस आई, एवं पार्किंग की गणना की जावे तथा सहायक नगर नियोजक से रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
10.	भ.अ/239/09-10 श्री सुरेश चन्द्र भाटिया पिता श्री दानमल भाटिया 43, बी पंचवटी उदयपुर	प्रार्थी द्वारा पीछे की तरफ कमरा कवर्ड चौक स्टोर आदि बनाया गया एवं पीछे की तरफ 5'-0" के सेट बेक के स्थान पर 3'-0" सेट बेक छोड़ा गया है एवं साईड सेट बेक भी 5'-0" के स्थान पर 3'-3" छोड़ा गया है। जिसे नियमन करते हुए प्रथम तल की स्वीकृति चाहते हैं।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया प्रार्थी ने जो पीछे के भाग में कमरा चौक स्टोर आदि का निर्माण किया एवं सेट बेक में निर्माण किया। सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सेट बेक छोड़कर निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे एवं जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जाकर किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
11.	भ.अ/300/08-09 सेंट मेरिज ऐज्यूकेशनल सोसायटी उदयपुर सेंट मेरिज कान्वेन्ट सिनीयर सेकेन्ड्री स्कूल	प्रार्थी ने स्कूल परिसर के एक हिस्से में सेट बेक को शामिल मिलाते हुए निर्माण किया गया जिसको नियमन करने हेतु प्रशासन शहरों के संग शिविर में प्रकरण रखा गया था एवं नियमन करने का निर्णय लिया गया था। प्रार्थी को नियमन राशि 38,36,797/- रुपये का नोटिस दिनांक 19.4.2010, 31.5.2010 को दिया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 7.5.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लिखा कि हमें उक्त राशि से मुक्ति प्रदान कराने की अनुकम्पा करावें।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया। प्रार्थी द्वारा संपूर्ण निर्माण सेट बेक को शामिल करते हुए कर लिया गया है एवं निकाली गई नियमन राशि जमा कराने को तैयार नहीं है। समिति द्वारा सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी की नियमन राशि नियमानुसार निकाली गई है। एवं राशि जमा कराने का पुनः नोटिस प्रार्थी को दिया जावे।
12	भ.अ/203/09-10 श्री नलिनी रंजन सिंह लोढा पिता स्व. सुमित्र सिंह जी लोढा 170 भुपालपुरा, उदयपुर	प्रार्थी ने मौके पर सामने का सेट बेक 15'-0" के स्थान पर मात्र 5'-0" छोड़ा गया। जिसमें भी बाउण्ड्री वाल तक सीढी का निर्माण किया गया एवं साईड सेट बेक 6'-0" छोड़ने का प्रावधान है। जिसको संपूर्ण सेट बेक में निर्माण किया गया एवं पीछे की तरफ भी 6'-0" सेट बेक छोड़ने का प्रावधान है। जिसमें भी निर्माण किया गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रथम, द्वितीय तल का भी बिना स्वीकृति के सेट बेक को शामिल करते हुए निर्माण किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रकरण में भूखंड के आस - पास की स्थिती का नक्शा एवं मौका स्थिति का नक्शा प्रार्थी से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्य	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
13.	भ.अ/99/08-09 श्री हिम्मत सिंह पिता पन्ना लाल जी दलाल 2, रोड नं. 12 अशोक नगर, उदयपुर	प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के भूतल में दुकान प्रथम तल में हॉल एवं द्वितीय एवं तृतीय तल में हॉस्टल का निर्माण किया गया है। जबकि उक्त योजना में भूतल में दुकान एवं प्रथम तल आवासीय (शॉप कम फ्लेट) का प्रावधान था। परंतु प्रार्थी ने पुरे भवन को वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा भूतल + तीन मंजिल मय निकासु के निर्माण किया गया। प्रार्थी ने भूतल एवं प्रथम तल वाणिज्यिक बनाया एवं द्वितीय एवं तृतीय तल में हॉस्टल का निर्माण किया गया जिससे पूरे भवन में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित है। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भूतल के ऊपर की मंजिलो को भी वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा है। सौ ऊपर की मंजिलो का भू उपयोग परिवर्तन कराकर प्रस्तुत करें।
14.	भ.अ/215/08-09 श्री लोकेश संचेती पिता स्व. मदन लाल जी संचेती एवं श्रीमति शांता संचेती पति लोकेश संचेती 16, उत्तरी सुंदरवास, उदयपुर	प्रार्थी द्वारा मौके पर भूतल में दुकान मेजनेन एवं प्रथम तल आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। एवं पीछे की तरफ बंद निकासु भी बनाया गया है। प्रार्थी को नगर विकास प्रन्यास द्वारा शॉप कम फ्लेट उपयोग हेतू भूखंड दिये गये थे। प्रार्थी ने पुरा भवन बिना स्वीकृति के बनाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भूतल में दुकान व मेजनेन एवं प्रथम तल आवासीय मय पीछे की तरफ 3'-3" चौडाबंद निकासु का निर्माण किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 7.5 प्रतिशत से राशि ली जावे एवं पीछे की तरफ जो निकासु बंद बनाया गया है। उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जाकर निमयन किया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
15.	भ.अ/113/09-10 श्रीमती जेहरा बाई, श्रीमति तस्नीम, श्रीमति जेनब बाई, मनोज कच्छावा तस्नीम बाई, पति असगर अली 3, भूतमहल उदयपुर	प्रार्थी गणों को परिषद द्वारा पूर्व में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें पूर्व एवं दक्षिणी ओर कुछ क्षेत्र को सड़क विस्तार के लिये छोड़े जाने का निर्णय लिया गया था। मौके पर स्टील्ड फ्लोर भूतल + दो मंजिल का निर्माण किया पाया गया जिसमें निकासु रचना को भवन में शामिल मिला लिया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि पर उक्त विवरण अनुसार भवन बना हुआ है। सरन्डर की जाने वाली भूमि को सड़क में मिलाई जावे। स्टील्ड फ्लोर पार्किंग के ही काम में लिया जावेगा। जो कि परिषद को रजिस्टर्ड सरन्डर की जावें व मौके की वर्तमान की स्थिति का नक्शा मंगाया जाकर सहायक नगर नियोजक की टिप्पणी लेते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
16.	भ.अ/140/08-09 श्री मदन लाल ताकडिया पिता भंवर लाल ताकडिया 103-104, बापू बाजार	प्रार्थी द्वारा पूर्वी ओर प्रथम मंजिल में हाल बनाने हेतु नक्शा प्रस्तुत किया। जो कि मौके पर बना लिया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त किये गये निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त भवन में भूतल के अलावा भी निर्माण होना पाया गया है जिसकी स्वीकृति का हवाला नहीं दिया गया है। यहां शॉप कम प्लेट की योजना है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से उक्त भूखंड पर बने निर्माण की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए नक्शा मांगा जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
17.	भ.अ/62/09-10 श्रीमति लता चावत पति दिनेश चावत 26, मेहता जी की बाडी, गुलाब बाग उदयपुर	मौके पर तलघर भूतल + एक मंजिल का निर्माण किया गया है। प्रार्थी को पूर्वमें यहां भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई हैं जिसमें सामने व साईड में 10'-0" 10'-0" व पीछे 5'-0" सेट बेक छोडते हुए दी गई। तदुपरांत प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर योजनाअनुसार सेट बेक में संशोधन चाहने पर भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा दिनांक 17.8.10 को प्रकरण पर विचार कर यहां के उपविभाजन प्लान प्लान नगर विकास प्रन्यास द्वारा दिनांक 15.7.72 को स्वीकृत किये गये प्लान के अनुसार सामने 10'-0" तथा साईड व पीछे 5'-0" 5'-0" छोडते हुए भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतू संशोधित भवन अनुमोदन का निर्णय लिया गया सेट बेक में भी साईड व पीछे विचलन किया गया। तथा साईड सेट बेक 5'-0" के बजाय 4'-0" तथा पीछे 5'-0" के बजाय 1'-1" खुला छोडा है। सामने 10'-0" ही छोडा गया है। कितु ऊपर की मंजिल में निकासु रचना बना रखी है। सेट बेक क्षेत्र में जो निर्माण किया है निमयन की परिभाषा में आने से भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा प्रकरण को अपराधो का शमन एवं समझौता समिति के समक्ष अनुमोदन करवाए जाने हेतू प्रस्तुत किया जावे।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि वर्तमान में स्वीकृत सेट बेक के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा साईड व पीछे सेट बेक में आंशिक निर्माण करवाया गया। न्यायालय के पूर्व के निर्णय के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमन सीमा में आने वाले निर्माण का नियमन हेतू मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। साथ ही भवन व आस - पास के मकानों के निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए प्रार्थी से नक्शा प्राप्त किया जावे।
18.	भ.अ/137/09-10 श्रीमति पुष्पा देवी धाबाई पति श्री राधा कृष्ण धाबाई 24, पिछोली मामाजी की हवेली के पास, उदयपुर	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद द्वारा दिनांक 9.2.2010 को भूतल + दो मंजिल मय 3'-0" खुला निकासु के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध दिये गये निकासु को भवन में शामिल मिला लिया गया है। एवं आंतरिक परिवर्तन किया गया है एवं प्रार्थी ने लेडिंग भी बनाई गई है। व भूतल + दो मंजिल भवन का निर्माण किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। सर्व प्रथम प्रार्थी एवं आपतिकर्ता को आगामी बैठक में व्यक्तिशः उपस्थित रहने हेतू सूचित करे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
-------------	--------------------------------	-------	--------------

19.	<p>भ.अ/71/10-11 श्री मुकेश दशोरा, राकेश दशोरा, एवं दिलीप दशोरा, 28, तेलीवाडा, शिव मार्ग, उदयपुर</p>	<p>मौके पर बिना भवन निर्माण स्वीकृति के पुराने भवन को गिराकर भूतल + प्रथम तल स्ट्रक्चर बना लिया गया है। प्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। स्थानीय समाचार पत्रों में आपति हेतु प्रसारित किये जाने पर कोई उजरदारी प्राप्त नहीं हुई है।</p>	<p>प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि किसी की उजरदारी भी प्राप्त नहीं हुई। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में किये गये बिना अनुमति निर्माण शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत से वसूल की जाकर नियमन किया जाता है। प्रार्थी से भवन का उपयोग व्यावसायिक न करने एवं न्यायालय में कोई वाद न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।</p>
-----	---	--	---

20.	<p>भ.अ/130/09-10 श्री सोहन लाल जैन पिता पुंजा लाल जैन 586, टैगोर नगर, हि. म. से 4 उदयपुर</p>	<p>मौके पर नगर विकास प्रन्यास द्वारा किये गये नियमन 30 × 39 क्षेत्र के अलावा नाल की लेन्डिंग आदि का निर्माण होना पाया गया। प्रार्थी बने भूतल पर प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण करना चाहते हैं। भवन निर्माण समिति द्वारा मौका देखा जाकर निर्णय लिया गया कि किये गये अनाधिकृत निर्माण का प्रकरण अपराधो का शमन एवं समझौता समिति के समक्ष रखा जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया।</p>	<p>प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा किये गये नियमन के अलावा भी निर्माण होना पाया। आस पास की स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा किये गये सेट बेक में निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जाता है। प्रार्थी से उक्त भवन का उपयोग वाणिज्यिक न करने एवं न्यायालय में कोई वाद न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।</p>
-----	--	--	---

क्रम संख्य	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
21.	भ.अ./60/09-10 श्री भूपेन्द्र सिंह पिता श्री संग्राम सिंह मेहता 1, भाण बाग फतेहपुरा उदयपुर	प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 9.9.2009 को सामने से 40'-0" एवं तीनों तरफ 20'-0" 20'-0" सेट बेक छोड़ते हुए स्टील्ड पार्किंग भूतल + चार मंजिल आवासीय युनिट्स की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने दी गई स्वीकृति के विरुद्ध सामने की तरफ 40'-0" सेट बेक के स्थान पर 38'-0" सेट बेक छोड़ा गया। उत्तर तरफ साईड में 20'-0" सेट बेक के स्थान पर 15'-0" से 20'-0" तक सेट बेक छोड़ रखा है। एवं दक्षिण तरफ 20'-0" सेट बेक के स्थान पर 8'-0" से 10'-0" तक सेट बेक छोड़ रखा है। और पीछे की तरफ 20'-0" सेट बेक छोड़ रखा है। एवं सेट बेक में 5'-0" से 7'-0" तक निकासु बंद /खुली बालकीनी बनाई गई है। प्रार्थी ने आंतरिक परिवर्तन भी किया गया है। एवं अतिरिक्त मंजिल का निर्माण भी किया गया है। प्रार्थी के भवन में पार्किंग की कमी भी पाई गई है। प्रार्थी द्वारा पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण का नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया है एवं निकासु के कुछ भाग को भवन में शामिल मिलाया गया व आंतरिक परिवर्तन किया गया व अतिरिक्त मंजिल भी बनाई गई है। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया गया एवं निकासु को भवन में शामिल किया गया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं जो अतिरिक्त मंजिल बनाई उसकी शास्ती भी आरक्षित दर से ली जावे एवं आंतरिक परिवर्तन की शास्ती 1000/- रुपये प्रति मंजिल से ली जावे एवं पार्किंग की कमी की राशि 50,000/- रुपये प्रति ई सी यू की दर से राशि ली जाकर नियमन किया जावे।
22.	भ.अ./135/08-09 श्री उदयन मिश्र, प्रेम कुंवर, महेन्द्र सिंह सरोज राठौड, नरेन्द्र सिंह एवं भुपेन्द्र सिंह 33, बी न्यू फतेहपुरा उदयपुर	प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 25.6.2009 को सामने से 30'-0" एवं तीनों तरफ 15'-0" 15'-0" सेट बेक छोड़ते हुए बेसमेंट एवं स्टील्ड पार्किंग व भूतल + चार मंजिल आवासीय युनिट्स की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी को दी गई स्वीकृति के विरुद्ध सामने की तरफ 30'-0" सेट बेक के स्थान पर 25'-0" सेट बेक छोड़ा गया। साईड में 15'-0" सेट बेक के स्थान पर 12'-9" सेट बेक छोड़ा गया है। एवं साईड में 15'-0" सेट बेक के स्थान पर 12'-9" सेट बेक छोड़ रखा है। और पीछे की तरफ 15'-0" सेट बेक के स्थान पर 13'-0" सेट बेक छोड़ रखा है। एवं सेट बेक में 4'-0" निकासु बंद /बालकीनी बनाई गई है। प्रार्थी ने आंतरिक परिवर्तन भी किया गया है। एवं अतिरिक्त मंजिल का निर्माण भी किया गया है। प्रार्थी के भवन में पार्किंग की कमी भी पाई गई है। प्रार्थी द्वारा पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण का नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया है एवं आंतरिक परिवर्तन किया गया व अतिरिक्त मंजिल भी बनाई गई है। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया गया। उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं जो अतिरिक्त मंजिल बनाई उसकी भी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं आंतरिक परिवर्तन की शास्ती 1000/- रुपये प्रति मंजिल से ली जावे एवं पार्किंग की कमी की राशि 50,000/- रुपये प्रति ई सी यू की दर से राशि ली जाकर नियमन किया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
23.	भ.अ/96/10-11 डॉ मनीष छापरवाल पिता अर्जुन लाल जी छापरवाल एवं श्रीमति देव छापरवाल पति मनीष छापरवाल 56, फतेहपुरा, उदयपुर	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद द्वारा दिनांक 4.3.2010 को सामने से 12'-0" एवं तीनों तरफ 6'-0" 6'-0" सेट बेक छोडते हुए भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध साईड सेट बेक एवं पीछे के सेट बेक में आशिक निर्माण किया है। एवं तृतीय व चतुर्थ तल का भी बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। पीछे की तरफ सेट बेक छोडकर बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं तृतीय एवं चतुर्थ तल बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया व तृतीय एवं चतुर्थ तल का निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए व सेट बेक छोडकर पीछे की तरफ जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए नियमन किया जाता है। प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे कि भवन का उपयोग आवासीय ही करे। भवन में किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं करे एवं न्यायालय में कोई वाद नहीं होने का शपथ पत्र लिया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
24.	भ.अ/148/09-10 श्रीमति रूपा देवी पति मोती लाल जी कच्छारा 939, हाथीपोल चेटक मार्ग, उदयपुर	प्रार्थी द्वारा दिनांक 6.10.2009 को स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। प्रार्थी को दिनांक 13.11.2009 को भू उपयोग परिवर्तन कराने हेतु पत्र लिखा गया था एवं दिनांक 8.3.2010 को प्रार्थी के प्रकरण को अस्वीकृत कर प्रार्थी को सूचित किया गया एवं प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के निर्माण किया जिसका पंचनामा दिनांक 29.6.2010, 17.6.2010 27.6.2010 19.7.2010, 9.8.2010, तक प्रार्थी ने भूतल + तीन मंजिल तक निर्माण किया गया एवं दिनांक 14.9.2010 को प्रार्थी के भवन को सीज कर दिया गया था। एवं प्रार्थी ने माननीय न्यायालय सिविल ज ज (क, ख) उत्तर में वाद प्रस्तुत किया गया जो विचाराधिन है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार भूखंड के आगे का भाग पूर्व से व्यवसायिक है तथा पीछे का कमरा आवासीय उपयोग के लिये दिया हुआ है भूखंड के आगे 180 फीट पर दुकान निर्मित है एवं पीछे आवासीय कमरों के दस्तावेज है प्रार्थी द्वारा पूर्व के निर्माण को गिराकर संपूर्ण भूखंड पर जी + 3 निर्माण कर लिया है। जिस पर प्रार्थी के विरुद्ध धारा 194 का प्रकरण दर्ज कर संपूर्ण भवन को दिनांक 14.9.210 को सील कर दिया गया था। प्रार्थी ने समझौते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा कराने का निवेदन किया बाद विचार विमर्श के निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के भूतल का डी एल सी का 20 प्रतिशत वाणिज्यिक शुल्क लेकर प्रथम व द्वितीय एवं तृतीय तल का आवासीय आरक्षित दर से राशि जी जाकर सील भवन को पुनः प्रार्थी के सुपुर्द कर दिया जावे। भूतल की दूकान का वाणिज्यिक भूउपयोग परिवर्तन के लिए प्रकरण को जिला स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति से अनुमोदन करवाया जावे।
25.	भ.अ/34/10-11 श्री महेश कुमार माली पिता स्व. हीरा लाल माली 51, छोटा भोईवाडा, उदयपुर	प्रार्थी ने मोक़े पर बिना स्वीकृति के भूतल + तीन मंजिल तक मय निकासु के बना लिया गया है व प्रार्थी ने पडोस की भवन के भी आगे निकासु बनाया एवं पीछे की तरफ पडोसी की खिडकियां आदि को प्रार्थी द्वारा बंद कर दिया गया है। प्रार्थी ने नियमों के विपरित निर्माण किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भूतल + तीन मंजिल बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है। पडोसी के भवन के भी सामने निकासु बनाया गया है। एवं पीछे के पडोस की खिडकियां भी बंद कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा किया गया निर्माण नियमन योग्य नहीं है। अतः समिति द्वारा सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण को निरस्त कर प्रार्थी को सूचित किया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
26..	भ.अ/185/06-07 मसर्स बुला कन्स्ट्रक्शन पार्टनर नरेश बुला 4, गुलाब भवन प्रताप मार्ग शिक्षा भवन रोड उदयपुर	प्रार्थी का प्रकरण दिनांक 14.9.2008 को भवन अनुमति समिति की बैठक में रखा गया था जिसमें स्वीकृति के विरुद्ध/तृतीय मंजिन के निर्माण को नियमन करने हेतु प्रशासनिक समिति से अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया है। मौके पर प्रार्थी ने नियमन के अलावा फार्थ फ्लोर में एक प्लेट का निर्माण किया है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया था जिसमें प्रार्थी से वर्तमान स्थिति के नक्शें एवं प्रार्थी क्या नियमन चाहता है। इस बाबत प्रार्थना पत्र लेने हेतु लिखा था। प्रार्थी ने मौके की स्थिति के नक्शें एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को पूर्व में पोल्थूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी एनओसी को वर्तमान भवन अनुसार संशोधित करवाकर आगामी बैठक में रखा जावे।
27.	भ.अ/7/09-10 शर्मा मारमो एसोसिएट प्रा लिमिटेड डायरेक्टर विजय कुमार शर्मा 4. सी मधुबन	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद द्वारा दिनांक 5.5.2008 को बेसमेंट पार्किंग एवं भूतल + चार मंजिल वाणिज्यिक भवन की स्वीकृति ली गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निकासु एवं एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया गया। जिसको नियमन कराने हेतु पत्रावली लगाई गई। जिस पर प्रार्थी के प्रकरण को दिनांक 24.7.2009 को भवन अनुमति समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया एवं समिति द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन करवाने हेतु लिखा गया। जिस पर प्रार्थी की नियमन राशि 84,25,800/- रूपये का नोटिस दिया गया एवं प्रार्थी ने उक्त राशि दिनांक 22.10.09 को जमा करा दी गई है व अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.10 में रखी गई जिस पर निर्णय लिया गया था कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया मौका एवं रिकार्ड की स्थित कालम संख्या 3 के अनुसार प्रार्थी ने सेट बेक क्षेत्र में भूतल में जाने के लिये सिढियों का निर्माण किया गया है। जिससे पार्किंग भी अवरुद्ध होता है एवं फायर ब्रिगेड आदि का मुमेंट एरिया भी बाधित होता है। अतः समिति द्वारा सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सेट बेक क्षेत्र में जो सिढियां बना रखी है। उसे हटाकर पार्किंग सुविधा में ली जावे। उसके बाद प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	फाइल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
28.	भ.अ/96/09-10 हंगाम इन्टरप्राइजेज डायरेक्टर श्री बन्नाराम चौधरी 29, ए न्यू फतेहपुरा उदयपुर	प्रार्थी को दिनांक 6.11.2007 को डबल बेसमेंट पार्किंग भूतल +चार मंजिल सामने से 40'-0" एवं तीनों तरफ 20'-0" - 20'-0" सेट बेक छोड़ते हुए वाणिज्यिक भवन की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी द्वारा पूर्णता का प्रमाण पत्र के लिए पत्रावली लगाई गई। जिसमें पूर्णता का प्रमाण पत्र चाहते हैं। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध 3'-0" चौड़ी सीढ़ी सेट बेक में निर्माण की एवं सामने के सेट बेक में चबूतरे को ऊँचा किया। जिससे फ्रन्ट सेट बेक की पार्किंग नहीं हो पाती एवं प्रार्थी के प्रकरण को भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 10.9.2009 में प्रकरण रखा गया था। जिसमें सेट बेक में सिढी एवं फ्रन्ट सेट बेक के चबूतरे को ऊँचा किया गया। उसकी पार्किंग की राशि एवं आंतरिक परिवर्तन की राशि लेते हुए नियमन करने का निर्णय लिया एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन कराने हेतु लिखा गया। जिस पर दिनांक 9.12.2009 को 5,74,500/- रुपये जमा कराने का नोटिस दिया गया। जिस पर दिनांक 22.12.2009 को नियमन राशि परिषद के कोष में जमा करा दी गई। दिनांक 8.6.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रार्थी का प्रकरण रखा गया जिसमें निर्णय लिया गया कि सामने के चबूतरे एवं सीढ़ी को हटाकर फोटो प्रस्तुत करें। जिस पर प्रार्थी ने पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2010 को लिखा गया एवं अवगत कराया गया कि सामने के चबूतरे को भवन की पीलन्थ ऊँची होने से बनाया गया है एवं उस पर पार्किंग किया जाना संभव नहीं होने से पार्किंग की कमी की राशि जमा करवा दी गई थी एवं मेरे द्वारा डबल बेसमेंट केवल पार्किंग हेतु ही छोड़ा गया है। जिसमें पार्किंग की जा रही है एवं सड़क पर हमारे द्वारा कोई पार्किंग अवरुद्ध नहीं हो रही है एवं पूर्णता का प्रमाण पत्र दिलाया जावे।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा डबल बेसमेंट में पार्किंग की जा रही है। एवं प्रार्थी की भूतल की पीलन्थ ऊँची होने से चबूतरा ऊँचा किया गया है। जिससे पार्किंग बाधित नहीं हो रही है। प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेट बेक को पार्किंग उपयोग नहीं दर्शाया है। वर्तमान में सेट बेक पूर्णतया खुला है। अतः समिति द्वारा सर्व समिति से निर्णय लिया गया है कि भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 10.9.2009 को लिया गया निर्णय की जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं आंतरिक परिवर्तन की शास्ती नियमानुसार ली जावे एवं पार्किंग की कमी का 50,000/- प्रति ई सी यू से लिये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय की पुष्टि की जाती है एवं पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
29.	भ.अ/61/09-10 श्री राजेन्द्र कुम्हार, प्रभुलाल, मोहन लाल , दाखी बाई, कुम्हार 1, आई एफ आई एफ अशोक नगर उदयपुर	प्रार्थी को दिनांक 5.8.2008 को भूखंड संख्या 1,1 ई और 1, एफ पर अलग – अलग स्वीकृतियां जारी की गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं तीनों भूखंडों को शामिल मिला लिया गया। जिस पर प्रार्थी ने नियमन हेतु पत्रावली लगाई गई। जिस पर प्रार्थी के प्रकरण को भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 24.7.09 में रखा गया एवं समिति द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया गया। व प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतु लिखा गया। प्रार्थी को 22,26,262/-रुपये का नोटिस दिया गया एवं प्रार्थी द्वारा उक्त राशि मय ड्राफ्ट के परिषद को दिनांक 19.4.2010 को दी गई। जिसे पुनः परिषद द्वारा दिनांक 20.2.2010 को राशि लौटा दी गई एवं प्रार्थी के प्रकरण को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.2010 को रखी गई थी जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि समिति को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जाये एवं प्रार्थी के विरुद्ध भोलाराम द्वारा शिकायत भी प्रस्तुत की गई।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने बेसमेंट पार्किंग एवं भूतल +तीन मंजिल सेट बेक को शामिल मिलाने हुए प्लेटस का निर्माण किया गया है एवं भूतल निर्माणाधिन है। अतः समिति द्वारा सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी एवं उजरदार को सुना जाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे।

क्रम संख्य	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
30.	भ.अ/155/09-10 श्री दौलाराम चौधरी एवं सुखिया बाई 1, शिवाजी नगर उदयपुर	मौके पर तलघर भूतल प्रथम एवं द्वितिय तल का निर्माण होना पाया गया है। पूर्व में दी गई भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 22.10.08 के तहत सामने से 8'-0' व बकाया तीनों तरफ से 4'-0" 4'-0" छोड़ते हुए बेसमेंट में जाने के लिये 10'-0" चौड़ा रैम्प बनाने एवं भवन का उपयोग आवासीय ही करने आदि की स्वीकृति दी गई थी। जिस पर प्रार्थी द्वारा सामने 0 सेट बेक तथा पीछे 4'-0" के बजाय 2'-3" सेट बेक ही छोड़ रखा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि उक्त विवरण अनुसार निर्माण होना पाया गया। आस पास की स्थिति को देखते हुए सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी का दी गई पूर्व भवन निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जाकर प्रार्थी को सूचित किया जावे।
31.	भ.अ/29/09-10 श्री चन्द्र नारायण वशिष्ठ पिता स्व. कणीन्द्र नारायण वशिष्ठ 147, जगदीश चौक उदयपुर	मौके पर बने पुराने खपरैल भवन को गिराकर भूतल में दुकाने बना ली गई है। तथा पश्चिमी रास्ते की ओर निकासु रचना भी बना रखी है। प्रार्थी भूतल में दुकाने एवं प्रथम एवं द्वितिय तल में आवासीय भवन निर्माण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। पुराने भवन में आगे की ओर दुकाने तथा पीछे कमरे होना दर्शाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि उक्त विवरण अनुसार भूतल का निर्माण किया गया है। तथा निकासु रचना भी बनी हुई है। यहां आस पास की स्थिति को देखते हुए प्रार्थी से भूतल में दुकानों का डी एल सी रेट की 20 प्रतिशत की दर से राशि वसूल कर निकासु रचना जिसका निर्माण किया है। निकासु रचना की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल की जाकर एवं शुल्क भी वसूल किया जावे। प्रार्थी से प्रथम एवं द्वितिय तल आवासीय बाबत शपथ पत्र लेते हुए नियमन किया जाता है। भू तल के वाणिज्यिक भूपयोग का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
32.	प्लॉट संख्या 25, सरदारपुरा उदयपुर श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री धर्मेन्द्र सिंह भाटी श्री गजेन्द्र सिंह भाटी, पिता चन्द्र सिंह भाटी उदयपुर	प्रार्थी ने पुरा भवन बिना स्वीकृति के बनाया गया है एवं उपविभाजन के समय 25 फीट चौड़ी सड़क को 30 फीट चौड़ी सड़क स्वीकृत की गयी है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की 2'-6" भूमि सड़क विस्तार हेतु छोड़ायी गयी थी। उसे भवन में शामिल मिला रखी है। एवं प्रार्थी ने सामने के सेट बेक एवं साईड सेट बेक और पीछे के सेट बेक में निर्माण कर रखा है एवं भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण कर रखा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम जो 2'-6" भूमि छोड़ायी गयी थी। उसकी बाउण्ड्री गिरा कर फोटो प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रार्थी ने भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में जो निर्माण किया। उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। एवं जो सेट बेक छोड़कर निर्माण कर रखा है। उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जाकर नियमन किया जाता है एवं प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावे कि सड़क विस्तार हेतु जो भूमि छोड़ी गई है। उसका भविष्य में बाउण्ड्री नहीं करेंगे एवं न्यायालय में कोई वाद नहीं चलने का शपथ पत्र लिया जावे।
33.	प्लॉट संख्या 3, (दुकान) पंचवटी, पार्ट फतेहपुरा उदयपुर श्री महेश चन्द्र टांक पिता रूप लाल टांक	प्रार्थी पूर्व में दिनांक 23.7.65 को बेसमेंट भूतल एवं प्रथम तल की स्वीकृति टाईप डिजाईन अनुसार पीछे की तरफ बिना निकासु के शॉप कम फ्लेट की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध पीछे की तरफ कुछ हिस्से में कमरे बनाये एवं निकासु बंद भी बनाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध पीछे की तरफ कुछ हिस्से में कमरे बनाये एवं निकासु बंद का निर्माण किया गया। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि सैकण्ड फ्लोर में निकासु के अलावा जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 7.6 प्रतिश से ली जावे एवं जो निकासु बंद बनाया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
34.	प्लॉट संख्या 1, शिकारपुर कोलोनी श्रीमति कांता ,ज्योति सनील, आशीष , सुनीता, बृजमोहन, एवं शांति लाल उदयपुर	प्रार्थी को पूर्व में बेसमेंट पार्किंग भूतल में हॉल प्रथम एवं द्वितीय तल आवासीय स्वीकृति दी गई थी। पूरे भूखंड का दिनांक 6.7.2007 को भू उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है। प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं अतिरिक्त एक मंजिल का भी निर्माण किया गया है। जिसके संपूर्ण भवन में वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही है। प्रार्थी के प्रकरण को दिनांक 24.7.2009 को भवन अनुमति समिति की बैठक में रखा गया था एवं नियमन करने का निर्णय लिया गया था एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन कराने हेतु लिखा गया था।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि दिनांक 24.7.2009 को भवन अनुमति समिति द्वारा लिये गये निर्णय की पुष्टि की जाती है। प्रार्थी ने बेसमेंट पार्किंग का निर्माण किया है एवं सेट बेक में निर्माण किया गया व निकासु बनाया गया एवं अतिरिक्त मंजिल का भी निर्माण किया एवं संपूर्ण भवन में वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही है एवं परिषद द्वारा संपूर्ण भूखंड का भू उपयोग परिवर्तन किया हुआ है। पार्किंग की कमी भी पायी गयी। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया / निकासु बंद बनाया एवं जो अतिरिक्त मंजिल बनाई उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। एवं पार्किंग की कमी का पचास हजार रुपये प्रति ई सी यू से राशि वसूल होगी एवं आंतरिक परिवर्तन की शास्ती वसूल करते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
35..	भ.अ/58/09-10 श्रीमती रीना चुगवानी पति मनोहर लाल चुगवानी 5 घ 11, आर एच बी राम सिंह जी की बाडी उदयपुर	प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के टाईप डिजाईन के विरुद्ध निर्माण किया गया तथा प्रार्थी उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने प्रकरण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी का है जिसमें नियमन बाबत कोई स्पष्ट राय हाउसिंग बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है तथा नहीं हाउसिंग बोर्ड ने मूल पत्रावलियां प्रेषित की अतः नियमन बाबत हाउसिंग बोर्ड से स्पष्ट अभिशंषा तथा मूल पत्रावलियां प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
36..	भ.अ/196/08-09 श्रीमति निशा पंवार पति विक्रम सिंह पंवार 3 ग 12, प्रभातनगर, हिरण मगरी, उदयपुर	प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के टाईप डिजाईन के विरुद्ध निर्माण किया गया तथा प्रार्थी उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने प्रकरण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी का है जिसमें नियमन बाबत कोई स्पष्ट राय हाउसिंग बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है तथा नहीं हाउसिंग बोर्ड ने मूल पत्रावलियां प्रेषित की अतः नियमन बाबत हाउसिंग बोर्ड से स्पष्ट अभिशंषा तथा मूल पत्रावलियां प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
37..	भ.अ/26/08-09 श्री भगवती लाल दक पिता श्री भंवर लाल दक हि. म. से 5 उदयपुर	प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के टाईप डिजाईन के विरुद्ध निर्माण किया गया तथा प्रार्थी उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने प्रकरण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी का है जिसमें नियमन बाबत कोई स्पष्ट राय हाउसिंग बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है तथा नहीं हाउसिंग बोर्ड ने मूल पत्रावलियां प्रेषित की अतः नियमन बाबत हाउसिंग बोर्ड से स्पष्ट अभिशंषा तथा मूल पत्रावलियां प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
38.	भ.अ/88/10-11 श्री बलराम वाधवानी पति सोजर मल वाधवानी 3 प हि .म. से नं. 5 प्रभात नगर, उदयपुर	प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के टाईप डिजाईन के विरुद्ध निर्माण किया गया तथा प्रार्थी उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने प्रकरण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी का है जिसमें नियमन बाबत कोई स्पष्ट राय हाउसिंग बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है तथा नहीं हाउसिंग बोर्ड ने मूल पत्रावलियां प्रेषित की अतः नियमन बाबत हाउसिंग बोर्ड से स्पष्ट अभिशंषा तथा मूल पत्रावलियां प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. प्रार्थी का नाम व पता	विवरण	समिति निर्णय
39..	भ.अ/99/09-10 श्री श्याम सुन्दर पिता नारायण लाल जी पालीवाल 2, ख 36, शांति नगर हिरण मगरी, से 5 उदयपुर	प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के टाईप डिजाईन के विरुद्ध निर्माण किया गया तथा प्रार्थी उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने प्रकरण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी का है जिसमें नियमन बाबत कोई स्पष्ट राय हाउसिंग बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है तथा नहीं हाउसिंग बोर्ड ने मूल पत्रावलियां प्रेषित की अतः नियमन बाबत हाउसिंग बोर्ड से स्पष्ट अभिशंषा तथा मूल पत्रावलियां प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
40.	भ.अ/233/09-10 श्री पर्वत सिंह पिता पन्ना सिंह जी राठौड़ एवं श्रीमति कैलाश कुंवर पिता पर्वत सिंह जी 3 भ, हिरण मगरी से 5, मैन रोड उदयपुर	प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के टाईप डिजाईन के विरुद्ध निर्माण किया गया तथा प्रार्थी उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने प्रकरण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी का है जिसमें नियमन बाबत कोई स्पष्ट राय हाउसिंग बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है तथा नहीं हाउसिंग बोर्ड ने मूल पत्रावलियां प्रेषित की अतः नियमन बाबत हाउसिंग बोर्ड से स्पष्ट अभिशंषा तथा मूल पत्रावलियां प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
41.	भ.अ/105/10-11 श्री कृष्ण कांत अजमेरा पिता नंद लाल जी प्लाट नं. 2, ख 18, शांति नगर से 5 उदयपुर	प्रार्थी द्वारा स्वीकृति पूर्व ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के टाईप डिजाईन के विरुद्ध निर्माण किया गया तथा प्रार्थी उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर विवरण अनुसार निर्माण पाया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की गई एवं विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने प्रकरण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कोलोनी का है जिसमें नियमन बाबत कोई स्पष्ट राय हाउसिंग बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है तथा नहीं हाउसिंग बोर्ड ने मूल पत्रावलियां प्रेषित की अतः नियमन बाबत हाउसिंग बोर्ड से स्पष्ट अभिशंषा तथा मूल पत्रावलियां प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर
क्रमांक:- नपउ/कौशा/10-11/
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर ।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर ।
5. श्री/श्रीमति.....समिति सदस्य ।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर ।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर ।
8.शाखा प्रभारी ।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर ।

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति
दिनांक:-

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर

